राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2952/2025

पूनम **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू।
4. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, पीएचसी कांकरिया (खेतडी), जिला झुंझुनू।
5. संजयपाल, वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पीएचसी कांकरिया (खेतडी), जिला झुंझुनू में कार्यरत।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.05.2025
आदेश की दिनांक : 08.07.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री आर.एस. भारद्वाज, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग अधिकारी के पद पर पीएचसी कांकरिया (खेतडी), जिला झुंझुनू में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से जिला चिकित्सालय, सिरोही किया गया है। जो बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है, जिसे अपीलार्थी द्वारा चुनौती देते हुये अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 1588/2025 प्रस्तुत की गई और अधिकरण द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा 30 दिवस में निस्तारण करने के आदेश दिये गये, जिसकी पालना में अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुये अपनी पारिवारिक समस्याओं का उल्लेख किया गया। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की समस्याओं पर बिना विचार किये एवं बिना अभ्यावेदन का निस्तारण कर दिनांक 02.04.2025 को आदेश जारी कर अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं 02.04.2025 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पीएचसी कांकरिया (खेतडी), जिला झुंझुनू में कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन नर्सिंग अधिकारी के पद पर पीएचसी कांकरिया (खेतडी), जिला झुंझुनू में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से जिला चिकित्सालय, सिरोही किया गया है। अनुलग्नक–4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने पूर्व में आदेश दिनांक 15.01.2025 के विरूद्ध अधिकरण के समक्ष चुनौती देते हुये अपील संख्या 1588/2025 प्रस्तुत की और अधिकरण द्वारा दिनांक 27.02.2025 को आदेश जारी करते हुये अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा प्रत्यर्थी विभाग को उसका निस्तारण करने के निर्देश दिये गये। जहां तक अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं आदेश दिनांक 02.04.2025 के द्वारा कार्यमुक्त किये जाने का प्रश्न है, स्थानांतरण आलोच्य आदेश एवं कार्यमुक्त आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त दोनों आदेश नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये हैं। अपीलार्थी वर्ष 2022 से एक ही स्थान पर कार्यरत है और किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि किस कार्मिक की सेवायें जनहित/प्रशासनिक आधार पर कहां पर ली जानी हैं। अतः अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल न होने के कारण अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के ग्राह्यता के प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य